SELF - CERTIFICATION PROFORMA

SH	TLPA STNG Gategory of application : Upgradation to Senior Secondary Level
	Anjani Kumar (Principal) of the school Gyan International Public Shool certify that:
1	The following uploaded documents are genuine and valid
*	No Objection Certificate No.: NA 11890
*	Trust/Society/Company Registration No.: 1281
*	Trust/Society/Company Registration Issuing Authority : Sub Registrar II Ghaziabad
*	Recognition Certificate No.: 9730-32 / 2017-18
	Recognition Issuing Authority: District Education Officer
*	Recognition Expiry Date:
*	Fire Safety Certificate No.: OFF/FO/2021/0067
*	Fire Safety Certificate Issuing Authority : CHIEF FIRE OFFICER GHAZIABAD
*	Fire Safety Certificate Expiry Date: 16/08/2022
*-	Building Safety Certificate No.: 19
ř	Building Safety Certificate Issuing Authority: RURAL ENGINEERING DEPARTMENT GHAZIABAD
ł .	Building Safety Certificate Expiry Date: 19/04/2039
*	Land Certificate No: 2020 137016926
k	Land Certificate Issuing Authority: Sub-Registrar
*	Land Certificate is in name of School/Society/Trust/Company duly signed by authorized signatory
2.	That mandatory disclosure has been displayed on the school's website and it's link has been filled in the Part A of the application
3.	That as per norms sufficient numbers of room/s and well equipped Laboratories for Physics, Chemistry, Biology are for available for senior secondary classes.
4.	That we have uploaded/submitted all the self-attested documents/ information on the School's Web-Portal and link in the application and the same are true and genuine.
5.	Submission of wrong system Generated DEO Certificate / Self-undertaking Certificate or deliberate misrepresentation or fraud may result in summarily rejection of Application.
3.	Submission of fraudulent/deliberate misrepresentation/fraud undertaking with intent to obtain affiliation through wrongful means may also lead to penal action against Principal, Manager and authorized signatory of Society.
	ne and signipalire(s):
oor	nternational Public School Nagar Sihani, Ghaziabad Noor Nagar, Sihani, Ghaziabad Noor Nagar, Sihani, Ghaziabad Manager/ Authorized Signatory
D:	ete :12/04/2022 Place : GHAZIABAD , UTTAR PRADESH

This document is to be digitally signed by the Secretary of the Society/ Trust/ Company.

4/13/22, 2:34 PM - SARAS - SARAS - SARAS

Mandatory Public Disclosure

A: GENERAL INFORMATION:

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	NAME OF THE SCHOOL	Gyan International Public Shool
2	AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE)	2133551
3	SCHOOL CODE (IF APPLICABLE)	61406
4	COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE	Noor Nagar, Sihani, GHAZIABAD , UTTAR PRADESH - 201001
5	PRINCIPAL NAME	Mrs Shilpa Singh
6	PRINCIPAL QUALIFICATION	M.A. B.Ed
7	SCHOOL EMAIL ID	gips.sihanigzb@gmail.com
8	CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE)	9999924037

B : DOCUMENTS AND INFORMATION:

SL No.	DOCUMENTS/INFORMATION	LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE
1	COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY	http://gyaninternationalgzb.in/
2	COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE	http://gyaninternationalgzb.in/
3	COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT	http://gyaninternationalgzb.in/
4	COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE	http://gyaninternationalgzb.in/
5	COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE	http://gyaninternationalgzb.in/
6	COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY	http://gyaninternationalgzb.in/
7	COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL	http://gyaninternationalgzb.in/
8	COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES	http://gyaninternationalgzb.in/

NOTE: THE SCHOOLS NEEDS TO UPLOAD THE SELF ATTESTED COPIES OF ABOVE LISTED DOCUMETNS BY CHAIRMAN/MANAGER/SECRETARY AND PRINCIPAL. IN CASE, IT IS NOTICED AT LATER STAGE THAT UPLOADED DOCUMENTS ARE NOT GENUINE THEN SCHOOL SHALL BE LIABLE FOR ACTION AS PER NORMS.

C: RESULT AND ACADEMICS:

SL No.	DOCUMENTS/INFORMATION	LINKS OF UPLOADED DOCUMENTS ON YOUR SCHOOL'S WEBSITE
1	FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL	http://gyaninternationalgzb.in/
2	ANNUAL ACADEMIC CALENDER	http://gyaninternationalgzb.in/
3	LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC)	http://gyaninternationalgzb.in/
4	LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS	http://gyaninternationalgzb.in/
5	LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY	

D: STAFF (TEACHING):

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	PRINCIPAL	Mrs. Shilpa Singh

4/13/22, 2:34 PM - SARAS

2	TOTAL NO. OF TEACHERS	17
	PGT	0
	TGT	8
	PRT	9
3	TEACHERS SECTION RATIO	1:1.5
4	DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR	Shyam Sundar Sahani B.ED In Spe. Edu.
5	DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER	Shweta Tyagi M.A. Psychology

RESULT CLASS: X

SL No.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1					

RESULT CLASS: XII

SL No.	YEAR	NO. OF REGISTERED STUDENTS	NO. OF STUDENTS PASSED	PASS PERCENTAGE	REMARKS
1					

E : SCHOOL INFRASTRUCTURE:

SL No.	INFORMATION	DETAILS
1	TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQ MTR)	4230
2	NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ MTR)	22 & 46
3	NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ MTR)	5 & 56
4	INTERNET FACILITY	YES
5	NO. OF GIRLS TOILETS	4
6	NO. OF BOYS TOILETS	4
7	LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL	http://www.youtube.com/channel/UC0BgyW0mxMW-t7tg-Sbltkg



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education



संपंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0

As per new Affiliation Byo-Laws

Grent with Condition Letter for- SL-01270-1920

NO . CBSE/AFF/SL-01270-1920/2019-20/

Dated: 26/11/2020

The Manager, Gyan International Public Shool Noor Nagar, Sihani Ghazlabad UTTAR PRADESH,GHAZIABAD , 201001 (M: 9999924037)

Subject : General Affiliation up to Secondary Level- regarding.

Ref : Application No. SL-01270-1920 dated 16.06.2018.

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the sanction for General Affiliation as per details given below :

Affiliation No. used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System				2133551	
School No.			61406		
Passy	word for OASIS and L	OC/Registration Sy	stem	is same as that us	ed for Affiliation Application.
Affili	ated for		Sec	condary School Exa	mination
Cate	gory		Fre	sh Affiliation	
Perio	d of General affiliation	n	01.0	04.2020 to 31.03.20	23
Year and Month From which admission can be taken in Class-IX		1 April, 2020			
Year : X will	and Month in which f appear in board exa	irst batch of Class- minations	Mar	rch, 2022	
SUBJ	ECTS ALLOWED:				
Langi	uages	NA			
Electi	ve Subjects	NA			
he fa	cilities reported at th	e time of last inspec	ction	:	
5.No.	No. Detail			Nos	Size
	Area of school campus			-	4230 sq metre (Square Meter)
2	Built up area			-	1486 sq metre (Square Meter)

This site is Designed and Developed by IT & Project Department CBS

Name of society running the school		SHRI VED PRAKASH TYAGI EDUCATION WELFARE SOCIETY,		
12	Vacant Class Rooms	-	- (Square Feet)	
11	Occupied Class Rooms	16	20 x 25 sq ft (Square Feet)	
10	Library rooms	1	22 x 69s q ft (Square Feet)	
9	Physics Lab	-	- (Square Feet)	
3	Chemistry Lab	-	(Square Feet)	
ataios	Biology Lab	-	- (Square Feet)	
	Computer Lab	1	22 x 36 sq ft (Square Feet)	
	Mathematics Lab	1	20 x 25 sq ft (Square Feet)	
	Composite Science Lab	1	20 x 38 sq ft (Square Feet)	
	Area of play ground	-	1927 sq metre (Bquare Motor)	

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

- The school will follow the syllabus on the basis of curriculum prescribed by NCERT/CBSE for the Middle Classes. The school will follow syllabus and courses as per scheme of studies prescribed by the Board for Secondary/Sr. Secondary School Examination and changes made therein from time to time.
- The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there
 of for reference purpose and also advised to visit CBSE websites / , http://cbseacademic.nic.in/ &
 http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites at least once
 every week.
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS)
 as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on
 Board's website: www.cbse.nic.in. Please see point number 46 for OASIS credentials.
- The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.
- 5. The school will enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in the Affiliation

	Campus E	nrolment	No. of Sections (pre-primary to X)	No. of Sections at Sr. Secondary (XI &XII)	
a)				04 each in class XI and XII	
		875	03 in each class	04 each in class XI and XII	
c)	2.0 acre 2		O T III CUCII CIUCO	04 each in class XI and XII	
2.0 acre 2500 04 in each class 04 each in class xi and xii 2500 250					

- The school will provide well equipped Laboratories, Library and other facilities as per norms of the Board. The relevant books as per the academic level of students shall be made available in the library.
- 7. The School should have at least one adequately equipped computer lab with a minimum of 10 computers and would ensure computer student ratio of 1:20 at least. Proper software along with facility of Broad Band connectivity with the feature of 'internet always on' from any service provider to be ensured.
- The schools affiliated and running upto Senior Secondary Level will provide suitable facilities including the equipment in laboratories/workshops and games for classes XI and XII as per requirements laid down in rules.
- The school will also abide by the conditions of Recognition/NOC prescribed by the State Government concerned.
- 10. The school is required to restrict the number of sections as per the infrastructure facilities available in the school as per rule 10.6 of Affiliation Bye-laws. The optimum number of students in a section of a class should not be more than 40 and number of students at middle, secondary and senior secondary level of the school shall preferably be proportionate to each other.
- 11. The section teacher ratio of 1:1.5 is to be maintained to teach various subjects and school shall appoint

- 12. The school and its records shall be open for inspection by an officer/official of the Board or an authorized representative of the Board/State Educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.
- 13. As per Rule 13.3 and 13.3 (i), the school shall supply information and returns called for by the Board/State/ Central Government/Local Authority within the prescribed time given for its furnishing to the authority concerned and the school should prepare its annual report containing comprehensive information including name, address postal and e-mail, telephone numbers, affiliation status, period of General affiliation, details of infrastructures, details of teachers, number of students and status of fulfillment of norms of affiliation Bye-Laws and upload same on the school's website before 15th September of every year.
- 14. The accounts should be audited and certified by a Chartered Accountant and proper accounts statements should be prepared in the name of school, as per rules.
- 15. The school will strictly adhere with all rules regarding safety of students including Fire fighting and Transportation, etc. Further, school will provide adequate facilities for potable drinking water and clean healthy and hygienic toilets with washing facilities for boys and girls separately in proportion to the number of students.
- Teachers are to be educated to avoid Corporal Punishment i.e. rule no. 44.1 (d & e).
- 17. As per rule no. 8.2 and 13.11, facilities for physically challenged student(s) should be adequately provided and every school shall promote inclusion of student(s) with disabilities/special needs in the normal school as per provisions of the 'Rights of Persons with Disabilities Act 2016'.
- The school shall take care of Health, sanitation and fire safety requirements in accordance with rule no. 3.3 (vii), rule 8.5 and rule 23.11.
- 19. The school has to constitute a committee for protection of woman from sexual harassment at the work place and to abide by the guidelines and norms prescribed by the Hon'ble Supreme Court of India in W.P. Criminal No.666-70 of 1992 Vishaskha and other vs State of Rajasthan and other delivered on 13.8.1997 Refer rule no. 10.9
- 20. Fees should normally be charged under the heads prescribed by the Department of Education of the State/U.T. for schools of different categories. No capitation fee or voluntary donations for gaining admission in the school or for any other purpose should be charged / collected in the name of the school and the school should not subject the child or his or her parents or guardians to any screening procedure in accordance with Rule No. 11.1, 2 & 3. Also, as per Chapter II, Rule No. 11.1 of Affiliation Bye-Laws, fees charged should be commensurate with the facilities provided by the institution.
- 21. The school should not use the facilities available for commercialization:-
 - (a) As per rule no. 19.1 (ii) It shall be ensured that the school is run as a community service and not as a business and that commercialization does not take place in the school in any shape whatsoever.
 - As per rule no. 19.1 (ii)(a) Any franchisee school making payment on account of use of name, motto and logo of franchiser institution or any other non-academic activities would be termed as commercialization of institution and the school is required to provide an affidavit that the school/society has not entered into any such contract to use Name, logo, motto for consideration of
- 22. Admission to the school is to be restricted as per rule 6.1 of Examination Bye-laws and rule 12 (i, ii & iii) of Affiliation bye laws.
- School will not prepare any student/ start class for any other Board except CBSE from their CBSE affiliated school building/ premises
- 24. As per rule 13.12 (ii), no affiliated school shall endeavour to present the candidates who are not on its roll nor shall it present the candidates of its unaffiliated Branch/School to any of the Board's Examinations.
- Running of classes of coaching institutions in the school premises in the pretext of providing coaching to the students for various examinations is not approved by the board. Strict action would be taken on defaulters.
- 26. Each school affiliated/ to be affiliated with the Board shall frame Service Rules for its employees which will be as per Education Act of the state/U.T., if the Act makes adoption of the same obligatory, otherwise as per Service Rules given in Affiliation Bye Laws. Further, Service Contract will be entered with each employee as per the provisions in the Education Act of the state/ U.T., or as given in Appendix III.
- 27. Pay and allowances to staff should be revised from time to time to bring it at par with that of State Government, Further, Salary and service conditions of staff should be fixed in accordance with rule no. 3.3 (v) and rule no. 10.2 as appended below:
 - a) The school in India must pay salaries and admissible allowances to the staff not less than the corresponding categories of employees in the State Government schools or as per scales etc. prescribed by the Government of India.Further, the service conditions as per Rule 10 and Rules 24 to 49 of Affiliation Bye-Laws shall also be adhered to.
 - (b) Salary should be paid through Electronic Clearing Service (ECS) from the date of first appointment of the teachers on probation.
- 28. Continuous sponsoring of students at Board examination is to be made as per rule 13.12 (iv). Failure to do so will lead to suo moto withdrawal of the affiliation of the school for Secondary and Senior Secondary Examination as the case may be
- School infrastructure and teachers should be made available as per rule no. 13.4 for examinations
 conducted by the board and evaluation of answer scripts
- 30. As per rule no. 8.8 (iv & v), every affiliated school is required to develop their own website containing comprehensive information such as affiliation status, details of infrastructure, details of teachers, number of students, address-postal and e-mail, telephone numbers etc.
- Strict adherence to the provisions of Wild Life Protection Act while procuring plants and animals for the use in laboratories by the school must be made in accordance with circular no. <u>03 dated 21 May 2013</u>
- 32. As per rule 15.1 (d), the school will follow the syllabus on the basis of curriculum prescribed by NCERT/ CBSE

while selecting books of private publishers. The content must be scrutinized carefully to preclude any objectionable content that hurts the feelings of any class, community, gender, religious group in society. The school will be responsible if prescribed books are found having such content. Provided also that the school would put a list of such books prescribed by it on its website with the written declaration duly signed by the Manager and the principal to the effect that they have gone through the contents of the books prescribed by the school and own the responsibility

- 33. As per RTE act 2009 and Chapter IX rule No. 53.2.2(a) and 53.3, a teacher appointed to teach Class I to V and VI to VIII should pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) State Teacher Eligibility Test (TET) conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose
- 34. As per rule no. 3.3 h (vi), every school should organize at least one week training programme for teachers every year in association with any teachers training institute recognized by the State or Central Government or by any agency identified by the Board
- 35. Every secondary and senior secondary school shall appoint a person on full time basis for performing the duties of a Health Wellness teacher as per rule 53.5.
- The school will create Reserve Fund as per the requirement of the Affiliation Bye Laws.
- 37. The Board would not allow any transfer of property/sale of school by one society/ Management/ Trust to another Society/Management/Trust through agreement/sale deed. In case such transaction is effected explicitly or implicitly the Board shall withdraw its affiliation with immediate effect.
- The school is required to follow the safety guidelines as issued by the Board vide Circular No-Affiliation 05/2018 dated 27.03.2018 captioned Safety of Children in schools.
- The school is directed to submit an affidavit duly notorized with in 15 days of issuance of grant letter, as an instrument of acceptance of terms of affiliation. The school is not allowed to alter or make any changes in the contents of the affidavit. The format of affidavit is attached with this letter.
- 40. 5-6 names of persons not below the rank of Principal of Sr. Secondary School affiliated with the Board be recommended so that two of them may be approved by the Board as its nominee in the School Managing Committee. Of these 2-3 may be Principals of KV/JNV
- 41. The school shall apply for further Extension of General Affiliation 'Online' through www.cbseaff.nic.in with prescribed fee and other essential documents as per the time period given by the board in this regard before the expiry of the date of General affiliation otherwise penalty as per rules will be charged for late execution of application.
- 42. The school should not start Class IX/X/XI/XII (as the case may be) without written approval of the Board. The Board shall not be responsible for any consequences in case class IX/X/XI/XII are started without obtaining the prior approval of the Board and without following the Affiliation Byelaws.
- It is mandatory for every affiliated school to become a member in the local Sahodaya of CBSE schools.
- 44. In case of established violation of Affiliation Bye laws, directions given in the circulars and any of the above mentioned conditions by the school, the school would be liable for disaffiliation under Chapter V,Rule No. 17 of Affiliation Bye-laws.
- Some of the important rules to be adhered to by the school were given above for drawing specific attention of the school authorities. However, the school authorities are required to acquaint themselves with the rules contained in Affiliation, Examination Bye-laws and circulars issued by the Board from time to time. Any laxity in following rules/instructions of the Board will lead to action against school as per Rule 17 of Affiliation Bye-laws.
- 46. Concerned Regional Office is requested to create new email id of school (SchoolNumber@cbseshiksha.in), this will be used for all online activities and official communication with the Board . For example , if school number is 99999, then email ID will be 99999@cbseshiksha.in. Password for first time login for new email ID will be shared to you on school's email ID/ Mobile number of Principal given at the time of applying online for affiliation.
- 47. School is requested that :a. This email ID will be used for communication with CBSE only. Do not use this email ID with other people
 - b. This email ID is not to be printed on the school letter head, to avoid its circulation in the public. or organisations.
 - c. If there is a change of the Principal, proper handing over of this email ID (User ID and Password) be done between outgoing and incoming Principal
 - d. All the examination related work and all CBSE related correspondence will be done on this email ID
 - e. Schools are requested to complete the process and use the email ID as per above instructions.
- The affiliation of the school is subject to the fulfillment of the following special conditions. The school is required to comply with the conditions mentioned below and report specific compliance with documentary and photographic evidence ONLINE within a period of 30 days from the date of this letter. In case of non compliance of the these conditions the school will be liable for action as per rules:-
 - * The school to renew all mandatory certificates from time to time. The number of section in school are restricted to 16 as per class room reported by IC.

Deputy Secretary

Encl: as stated above.

This is a computer-generated document. No signature is required.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 784391




न्यास/ट्रस्ट पत्र

स्टाम्प अंकन 300/- रुपये का

समाज के सर्वागीण विकास के उद्वेश्य से आज दिनांक 15.06.2018 को स्व0 श्री वेद प्रकाश त्यागी एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी, कार्यालय ग्राम नूर नगर सिहानी, तहसील व जिला गाजियाबाद की स्थापना की गई हैं।

ट्रस्ट के संस्थापक दुष्यन्त कुमार त्यागी पुत्र स्व० श्री वेद प्रकाश त्यागी निवासी 455, ग्राम नूर नगर, परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद ने अंकन 1,100/— रुपये की धनराशि ट्रस्ट को प्रदान की हैं जो ट्रस्ट की सम्पत्ति मानी जायेगी और ट्रस्ट के उद्वेश्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी







न्यास पत्र

प्रतिफल- 1100 स्टाम्प शुरुक- 300 याजारी मूल्य - ० पंजीकरण शुरुक- 100 प्रतिशिविकरण शुरुक- 80 योग : 180

श्री दुष्यन्त कुमार त्यागी , पुत्र श्री स्य॰ वेद प्रकाश त्यागी

द्वायसाय : अन्य

निवासी: ४५५, ग्राम नूर नगर, परगना लोती तहसील व

जिला गाजियाचाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिलॉक 15:06/2018 एवं (1:42:37 PM बजे नियंधन हेतु पेश किया।





रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत कुमार प्रभारी उप निवंधक सदर द्वितीय गानियाबाद





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 784392

हम कि दुष्यन्त कुमार त्यागी पुत्र स्व0 श्री वेद प्रकाश त्यागी निवासी 455, ग्राम नूर नगर, परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद संस्थापक प्रधान ट्रस्टी –पद–अध्यक्ष

व

भानु त्यागी पुत्र श्री अरविन्द त्यागी निवासी मकान नम्बर—305, ग्राम नूरनगर, सिहानी, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद ट्रस्टी पद—उपाध्यक्ष

व

अशोक कुमार पुत्र स्व० श्री राजाराम निवासी ग्राम सिहानी तहसील व जिला गाजियाबाद ट्रस्टी – पद–महासचिव

grish

474 HO - 18-14 स्टाम्प किस बबोजन हेत्. स्टाम्प केता का नाम व वता त्टान्य की धनराति.... रजनीत्र कुमार स्टाम्प विकेता लाव नंव 207, लाव की अधिका 31-32050 रोत नंत 72, तहसील सर्वाध्यक

> निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि र प्रलेखानुसार उक्त

ल्यासी: 1

श्री दुष्यान्त कुमार त्यागी, पुत्र श्री स्व० वेद प्रकाश त्यागी निवासी: ४५५, याम नूर नगर, परगता लोमी तहसील व जिला गाजियाबाद टयवसायः अन्य विभाग





ने निष्पादन स्थीकार किया । जिनकी पहचात पहचानकर्ता : 1

श्री अशोक पाल , पुत्र श्री राजाराम

निवासी: ६१, सिहानी गाजियाबाद

ह्यवसाय: अन्य

Beatles alm

पहचानकर्ता : 2





बी गौरव फुमार , पुत्र बी ओमपाल सिंह

निवासी: यास दुहाई याजियायाद

व्यवसाय: अन्य -





रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्साक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्रं स्वक्षियाँ के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

विसीत कुमार प्रभारी उप निबंधक सदर द्वितीय

गाजियाचाद

व

नरेश त्यागी पुत्र स्व0 श्री वेद प्रकाश त्यागी निवासी मकान नम्बर–305, ग्राम नूर नगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद ट्रस्टी – पद–कोषाध्यक्ष

व


श्रीमती वैशाली त्यागी पत्नी श्री दुष्यन्त कुमार त्यागी निवासी मकान नम्बर–455, ग्राम नूर नगर, गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद ट्रस्टी – पद–सचिव

उपरोक्त सभी ट्रस्टियों का आगे व्यवस्थापक कहा गया हैं ।

ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम नूर नगर सिहानी, तहसील व जिला गाजियाबाद

ट्रस्ट के उद्वेशय

 समाज के सर्वागीण विकास के लिये योजनाये बनाना, विभिन्न प्रातों से आकर बसे लोगों के लिये कल्याण के लिये कार्य करना





- समाज के गरीब व्यक्ति को सस्ते घर का सपना पूरा करना व इसके लिये सम्बन्धित निर्माण करना ।
- शिक्षा के प्रचार व प्रसार के क्षेत्र में कार्य करना तथा शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये प्रयत्न करना

यह कि ट्रस्ट के नाम कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं हैं एंव ट्रस्ट का आफिस ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं हैं केवल पत्राचार पते के लिये हैं

एव कोई भी अचल सम्पत्ति का का विकय इस ट्रस्ट डीड के माध्यम से नहीं किया गया हैं।

अतः यह विलेख न्यास पत्र लिख दिया कि प्रमाणित एवं उपयोगी हो इति।

Out





- मजदूरों के हितों की रक्षा करना तथा मजदूरों का बीमा आदि का कार्य करना।
- मजदूरों व समाज के निम्न वर्ग के गरीब व्यक्तियों के हितो की रक्षा हेतु योजना बनाना।
- वर्तमान युग में फैली कुरूतियाँ— अन्य विश्वास जैसे क्षेत्रवाद, दहेज प्रथा आदि को दूर कर खक्क समाज की स्थापना करना।
- वर्तमान युग में बच्चों को आत्मनिर्मर, विवेकशील बनाकर राष्ट्रीय येतना जागृत कर स्वध्छ व सामाजिक निहित समाज की स्थापना करना।
- ग्रामीण जनता को शिक्षा का प्रचार प्रसार कर अझानता से दूर कर सफल व सजग नागरिक बनाना।
- ग्रामोत्यान हेतु समय-समय पर प्राप्त राजकीय सहायता व समाज सेवियों के सहयोग से धनोपर्जन कर ग्रामोत्थान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना।
- खेलकूद के मैदानों का विकास करना, खेलकूद हेतु इन्होर हाल का निर्माण करना, रिवर्मिंग पूल बनवाना।
- ग्राम उद्योगों के प्रविक्षण केन्द्र स्थापित करना।
- मधुमक्खी पालन के नि:शुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
- अन्य समस्त सामाजिक कार्यो को बढ़ावा देना तथा करना।
- पिछन्डे हुए युवा जनों के लिए प्रमोद गृह, अरोग्य मंदिर और बौद्विक विकास के लिये पुस्तकालय, वाचनालय केन्द्रो की स्थापना करना।
- देव एवं प्रदेव की समउद्देश्यों वाली संख्याओं से सम्पर्क स्थापितकर उद्देश्यों की पूर्ति
- अपराम्परिक उर्जा, स्त्रोतों, संयत्रों, गोबर गैंस, सीर उर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्थन एवं विकास करना।
- सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थाओं उ०प्र० खादी तथा ग्रामाधोग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, कपार्ट, नाबार्ट, केन्द्रीय व प्रान्तीय समाज कल्याण विकास आदि जाति निमम व किल निगम से तथा जनजाति निगम से सहयोग प्राप्त करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता, सद्भावना एवं विष्य बन्धुत्व के प्रति वेतना व जामृति का विकास करना।
- नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना व उनका संवातन करना।
- स्वस्थ भारत, सामर्थ भारत, स्वदेशी जागरण नशामुक्ति आंदोलन आदि के लिए संकत्प
- स्वारथ्य, पोषण संस्कार, गौपेथी एवं वन औषधियों का परिचय कराना।
- गरीबों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना व बंजुबान जानवरों की रक्षा प्रदान करना तथा उनके लिए गौशाला का निर्माण करना व संचालन करना व पेड़ी के अवैध कटान को रोकना ।

संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों का वर्ग:--

- (a) कंवल मारत के नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक, संस्था में नियमानुसार निम्नांकित दर्ग के सदस्य बन सकते हैं।
- संस्थापक सदस्य— संस्था के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सभी 5 सदस्य संस्था के संस्थापक सदस्य होंगे एव संस्था को एक मुश्त 1100/- (प्यार्यह सी रूपये या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगे)

सदस्यता की समापि:-

- 1. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
- दिवालिया या पागल हो जाने पर।
- सदस्यता पत्र में यायिका विवरण में जानवृक्षकर बुटिपूर्ण या प्रमक जानकारी देने, सदस्यता के विकास कार्य करने, संस्था के संस्थापक के विकास संस्था में कार्य करना।
- सदस्यता से त्याग पत्र देने पर।



- नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दिण्डत होने पर।
- नियमित रूप से सदस्यता कुल्क अदा न करने पर।
- सचिव संस्थापक एवं प्रबन्धक की सलाह पर अवमानना सिद्ध हो जाने पर दोषी सदस्य को निष्कासित कर सकता है।
- लगातर तीन बैठकों में अनुपरिखत होने पर।
- सदस्यता मुल्क की समाप्ति तिथि 1 जनवरी से 3 कलैण्डर माह बितने पर। संस्था एवं संस्था उद्देश्य एवं संस्था सदस्यों के विरुद्ध अनैतिक कार्यवाही करने पर।
- (5) संस्था के अंग:— संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसके दो अंग होंगे:
- (क) साधारण सभा
- (ख) प्रबन्धकारिणी समिति
- (क) साधारण सभा- अ (गठन) साधारण संस्था में संस्था के केवल आजीवन सदस्य ही सम्मिलित होंगे।
 - संस्थापक / प्रबन्धक किसी भी योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता से प्रसन्न उसकी इच्छा से किसी भी समय सदस्य बना सकता है।

(ख) साधारण समा की सामान्य/विशेष बैठको.— साधारण समा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार बुलाई जायेगी। विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार

(ग) सूचना अवधि:— साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सचिव द्वारा 15 दिन पूर्व प्रेषित

साधारण समा की विषेष बैठक की सूचना सचिव द्वारा 3 दिन पूर्व सूचना प्रेषित की जायेगी।

वार्षिक साधारण समा हेतु साधारण समा के कम से कम वो तिहाई 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तय की जायेगी।

(अ) वार्षिक आवश्यक बैठको की तिथिः

 साधारण समा की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आवश्यक की जायेगी। जिसमें एक बैठक उससे 1 माह पूर्व ही की जायेगी। संस्थापक एवं प्रबन्धक की अनुमति से।

(ब) साधारण समा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- साधारण समा के गठन में शामिल प्रत्येक सदस्य को संस्था की नियमावली प्राप्त करने. पंजिकाओं एवं अभिलेखों का नियमानुसार अवलोकन करने, साधारण सभा की बैठकों में
- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिरियाँ एवं सदस्यों का निर्वाचन जनतात्रिक रीति से करना।
- साधारण सभा अपनी किसी भी बैठक में संस्था से सम्बन्ध किसी जटिल विशेश विद्यारण विषय पर संस्था के आमंत्रित सदस्यों या उनके पैनल समयबद्ध परामर्श माग सकता है, क्कांचे इस प्रामर्श के प्राप्त होने पर सहधारण समा या प्रबन्धकारिणी समिति उसके अनुजलनार्थ बाध्य नहीं होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा वार्षिक बजट पास करना। वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

 संस्था के नियमों एवं विनियमों में संबंधन प्रतिवर्तन एवं परिवर्धन 2/3 दो तिहाई सदस्यों कं बहुमत से प्रारित करना।

प्रबन्धकरण समिति:--

संस्था के समुचित प्रबन्ध व प्रशासन आदि के लिए कार्यों को करने का अधिकार बारह (12) सदस्यीय प्रबन्धकारिणी समिति को प्राप्त होंगे। जिसे संस्था नियमों के अनुसार कार्यमार सीपा नया है। प्रबन्धकारिणी समिति में आवष्यकतानुसार सदस्यों के रूप में संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकमी।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में दो (2) बाद व विशेश बैठक कभी भी आवश्यकता पतने घर दुलाई जा सकती है। सचिव द्वाना सुवना प्रवित करने पर।

(सं) सूचना अवधि — प्रवन्धकारिको समिति की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विश्वन बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व की आयंगी।



- (द) (कोरम):— वार्षिक साधारण बैठक हेतु साधारण समा के कम से कम दो तिहाई 2/3 सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (य) रिक्त स्थानों की पूर्ति:— प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई पद आकरिमक रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति संस्थापक / प्रबन्धक की अनुमति से सधिव द्वारा की जायेगी।
- (र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार तथा कर्तव्य
 - 1. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
 - वार्षिक बजट तैयार करना।
 - 3. वार्षिक अधिवेशन की तिथि तय करना।
 - संस्था हेत् दान-अनुदान व चन्दा प्राप्त करना।
- (व) कार्यकालः— प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल गठन की लिथि से 5 वर्ष के लिए होगा। प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों तथा कर्तव्यः—

अध्यक्त-

- 1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 2. बैठकों के लिए दिनांक का अनुमोदन करना।
- 3. सामान्य नत होने पर निर्णायक मत देना।
- पारित बजट के अन्दर व्यय की स्वीकृति प्रदान करना।
- अध्यक्ष का पद सर्वेव अपरिवर्तनीय सर्वश्रेष्ठ शक्ति अध्यक्ष में निहित रहेगी वंधागत रहेगा।
- संस्था का कोई भी सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगा।
- संस्था का सचिव एवं कोषाध्यक्ष कोई मी लेन देन बिना अध्यक्ष की लिखित अनुमति नहीं कर सकेगा।
- समस्त बिल वाउचरों, अनुग्रन्थ पत्रों, सविदों आप व्यय एवं पत्र नयुक्तियों आदि पत्र हस्ताक्षर करना।

उपाध्यक्ष / उपाप्रबन्धकः — अध्यक्ष की अनुपश्चित में संस्था की विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करना व सहायता करना आदि। अध्यक्ष की उपश्चितियाँ अध्यक्ष द्वारा सीपें गये सभी दायित्वों का पालन करना।

सचिव-

- किसी भी कार्यवाही की संचालन एवं अध्यक्ष, संस्थापक व सदस्यों आदि को सूचना देना।
- संस्था के अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना व उनकी सुरक्षा करना।
- 3 संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना!
- संस्था हेत दान-अनुदान प्राप्त करना।
- इ. संस्था के रिकार्ड को प्रबन्धक / अध्यक्ष के पास सरुक्षित रखना।
- संस्था का आय व्यय का लेखा—जोखा रखना और प्रत्येक वर्ष बजट बनाकर व संस्था की सभी ईकाइयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्धक एवं संस्थापक को सौपना।
- सदस्यों का नाम रिजस्टर में लिखना।
- संस्था द्वारा संचालित ब्रान्च की देख-रेख करना, सभी प्रशिक्षकों से सवाल जवाब करना।
- संस्था के विकास हेत् अन्य कार्य अध्यक्ष की निर्देशानुसार करना।
- सचिव किसी भी प्रवाधिकारी, कर्मधारी, प्रशिक्षण को संस्था के विरुद्ध याये जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक अनुशालक कार्यवाही संख्यापक/अध्यक्ष की अनुभति से कर सकता है जिसमें निष्कासन भी सम्मिलित है।
- संस्थापक एवं अध्यक्ष की निर्वेज्ञानुसार अवासती कार्यवाही कर सकता है।

कोषाच्यस:-

- आय व्यय का लेखा-जोखा रखना क्षिक बजह बनाने में संस्था की सहायता करना।
- दान व अनुदान, बन्दा आदि सरकारी गर सरकारी संस्था, विदेशी राष्ट्रा आम मारतीय नागरिक से प्राप्त करना।

anst



अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

 दान व अनुदान, धन्दा आदि प्राप्त करके रसीद देना तथा घन को संस्था के खाते में जमा कर सचिव व अध्यक्ष को अवगत करना।

संस्था के कोष के लिये किसी भी सब्ट्रीयकृत बैठक में खाता खुलेगा और खाते का

संघालन संस्था के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव कोई दो संयुक्त रूप से करेंगे।

 कोषाध्यक्ष को प्रबन्धक/अध्यक्ष की सहमति के बिना किसी प्रकार के कार्य में व्यय करने का अधिकार न होगा और प्रबन्धक/अध्यक्ष का कोषाध्यक्ष से विश्वास टूटने पर कोषाध्यक्ष को पूर्ण धन व लेखा-जोखा व पूरे रजिस्टर आदि संस्था को वापिस करने होंगे।

संस्था का वार्षिक लेखा परीक्षण (आडिट की व्यवस्था):--

- संस्था की सहग्ररण समा द्वारा वार्षिक समा बैठक में प्रबन्धकारिणी समिति या प्रबन्धक / अच्यक्त द्वारा नियुक्त पैनल संस्था का ऑडिट करेगा जो प्रतिवर्ष संस्था के आय व्यय के विषय में अपनी रिपोर्ट / बैलेन्स सीट प्रस्तुत करेगा और जिसकी सत्याति प्रतिलिपि को सहायता रजिस्ट्रार, ट्रस्ट, फर्म चिट्स, आगरा को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।
- आखिट (लेख परीक्षण) के सन्दर्भ में संख्था पर ट्रस्ट रिजस्ट्रेशन एक्ट की धारा 23 के अधीन ऑडिट की व्यवस्था होगी।

न्याय पश्च-

प्रबन्धकारिणी समिति के सारे वैद्यानिक एवं कानूनी मामलो एवं समस्त बोर्ड प्रबन्ध समिति के खिलाफ में प्रबन्धक/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा या प्रबन्ध समिति की तरफ से

प्रबन्धक / अध्यक्ष या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा ही उसकी पैरवी की जायेगी।

प्रबन्धक / अध्यक्ष संस्था की अन्य शाखाएं स्वयं अपने विवेक पर स्थापित कर सकेगा। जिसमें समिति के सदस्यों को कोई ऐतराज नहीं होगा न ही प्रबन्धक के खिलाफ कोई अदालत में चलने या समाप्त होने या समिति के मंग होने पर प्रबन्धक / अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपनी चल व अचल सम्पत्ति अपने कब्जे में कर लेगा।

चेयरमेन / संस्थापक व प्रबन्धक / अध्यक्ष के पद सदैव वंशागत रहेंगे प्रबन्धक / अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार रहेगा किसी भी प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य का पद परिवर्तित करने व निष्कासन करने का और जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जायेगा।

संस्था के अभिलेख-

- संदरय पंजीकरण
- साधारण समा की कार्यवाही मिनट्स पंजीका
- नाटिस यंजीका 3.
- प्रबन्धकारिणी समिति की कार्यवाही (मिनट्स) पंजीका
- हरतासर पंजीका 6.
- स्टाक एजिस्टर ő.
- निरीक्षण पंजीका 7
- सझाव पंजीका Н.
- रोकड बही a
- निरीक्षण एवं प्राप्ति रजिस्टर 10.
- अक पंजीका 11.
- कम्प्यूटर् / लेपटॉप प्रक्रिया । 12

संस्था के नियमों एवं विनिमयों में संबोधन प्रक्रिया-

साधारण समा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के प्रबन्धक/अध्यक्ष द्वारा नियमों में परिवर्तन शरोधन व परिवर्तन किया जायेगा ।

संस्था का विघटना-संस्था के विधटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन आंधेनियम की धारा 1860–धारा 13 व १४ के अन्तर्गत की जायेगी।

विमाक गवाहानः (सल्य प्रतिसिप)

5.4000



प्रतिबन्धों की बाध्यता :

- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए

निर्घारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिाद/काँसिल फाँर द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

- (5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य मत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी
- (10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- नोट कृपया उक्त बिन्दुओं को अपने विद्यालय के सोसायटी / ट्रस्ट से बायलाज में समाहित कराकर रजिस्टर लोसायटी द्वारा इस समान्य में निर्गत पत्र एवं उनके द्वारा हस्ताक्षरित कर दी गई बायलाज की संशोधित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।






JONOR

दिनांक 15.06.2018 मसौदा मुनेश त्यागी वैनामा लेखक, चैम्बर

STREET, SQUARE,

निवासी ग्राम दुहाई गाजियाबाद Aadhar No. 3808 2701 0418

नम्बर-95, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद



बही संख्या 4 जिल्द संख्या 557 छ पूर 303 री 326 तक क्रमांक 1281 पर दिलॉक 15/06/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनात कुमार प्रभारी उप निबंधक : सदर द्वितीय गाजियाबाद



दिब्यकान्त शुक्ल सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सेवा में

सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र प्रीत विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग 23 42 - 43

मेरठ दिनांक: 14 06 2019

विषय:-

ज्ञान इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्राम नूरनगर सिहानी गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 24-01-2019 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। (1)
- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के (2) कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों (3) के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए (4) सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्घारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- फीस उन्ही मदों में चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो। फीस की दर इतनी (5) होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय।
- राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्गत किये (6) जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई (7) परिवर्तन / संशोधन / परिवर्दधन नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा। (8)
- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य (9) होगा।

- (10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की इण्डिन स्कूल सटीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- (11) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायें।
- (12) संस्था की वार्षिक आय—व्यय का सी०ए० द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा—जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
- (13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाणपत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदाय (दिब्यकान्त शुक्ल) संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या 1.1890/म0स0(190)/2019 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
- (2) जिलाधिकारी, मेरठ।
- (3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- (6) प्रबन्धक, ज्ञान इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ग्राम नूरनगर सिहानी गाजियाबाद।

(दिब्यकान्त शुक्ल)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल, मेरठ।

1416/19

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद।

प्रेष्य.

प्रबन्धक,

ज्ञान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नुरनगर सिहानी, गाजियाबाद।

पत्रांक/मान्यता-शि०स०/ 9730-39

/ 2017—18 दिनां

दिनांकः 31/11/8

पत्राक / मान्यता—१२१०५० / 1 13 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और विषय :- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2017 के और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं ज्ञान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नूरनगर सिहानी, गाजियाबाद को कक्षा नर्सरी से कक्षा—8 तक हेतु दिनांक 01.04.2018 से तीन वर्ष की अविध के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.12.2017 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति अनुमोदन के आधार पर औपबंधिक मान्यता का प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ:—

- 1. मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
- 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4. प्रस्तर—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण, धर्म, जाति, अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
- 7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा-
- (एक) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय में निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (दो) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
- (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं <mark>की जाएगी।</mark>
- (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (पाँच) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (छै:) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (सात) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

Skowan

B

9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है। विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—1500 वर्ग गज कुल निर्मित क्षेत्र—750 वर्गगज कीड़ा—स्थल का क्षेत्रफल—750 वर्ग गज कक्षाओं की संख्या—12 प्राधानाध्यपक कक्ष—01 सह—कार्यालय—01 सह—मांडागार के लिए कक्ष—01 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— है पेयजल सुविधा— उपलब्ध हैं।

मिड—डे मील पकाने के लिए रसोई— X बाधा रहित पहुंच है

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

- 10 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
- 14 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक नर्सरी-VIII-11/2019-20 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जारे।
- 17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 18. छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाए।
- 19 विद्यालय प्रबन्धन / न्यास और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- 20. संलग्न अनुसलग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्ते।

मान्यता प्राप्त करने में यदि किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा अथवा दिये गये पत्राजातों में कोई पत्र फर्जी या कूटरचित पाया जाता है तो यह मान्यता पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा उचित कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय

(विनय कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ्री गाजियाबाद।

पृ०सं० / मान्यता / तद्दिनांक — /2017—18 / तद्दिनांक — प्रतिलिपि—निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
- 2. खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र सिटी संभाग गाजियाबाद।

3. कार्यालय प्रति।

(विनय कुमार) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांक / बे०शि / मान्यता /

/2021-22 दिनांक 09.04 2021

प्रबंधक, ज्ञान इण्टरनेशनल पब्लिक स्कूल नूरनगर सिहानी, गाजियाबाद ।

विषय- मान्यता नवीनीकरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक 02/04/2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/शि०स०/9730—32/2017—18 दिनांक 31/01/2018 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है इस कार्यालय के उपरोक्त द्वारा प्रदान की गई अस्थायी मान्यता ही स्थायी मान्यता होने तक प्रभावी मानी जायेगी।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गाजियाबाद

कार्यालयः सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड गाजियाबाद। पत्रांक । ७ / ग्रा०अ०वि० / एन०बी०सी० / २०१७ । १८ दिनांक २००७ ५ - १४

प्रमाण पत्र

ज्ञान इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल, नूरनगर साहनी जनपद गाजियाबाद भवन में निर्माण कार्य दो मंजिल का है। स्कूल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्कूल भवन का निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में प्राविधित सुरक्षा मानकों के अनुरूप सन्तोषजनक किया गया है।



FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.OFF/FO/2021/0067

Dated-17.08.2021

It is Certified that Gyan International Public School at I to VIII Noor Nagar Sihani. Ghaziabad comprised of Ground Floor & First Floor have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 24.07.2021 (date of inspection) in the presence of Mr. Dushyant Kumar Tyagi Noor Nagar Sihani (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building / premises is fit for occupancy class Good with effect from 17.08.2021 for a period of 1 year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 17.08.2021 at Fire Station Office by

Signature with seal:

Name:

Designation:

अतिनशमंत्र अधिकारी 17. 08 2021

फार्का हरेश्य मित्रादी गाजियाबाद

To. Manager Gyan International Public School Noor Nagar Sihani Ghaziabad

(Name & Address Of The Institute)



गाज़ियाबाद नगर निगम

पत्रांक:/06 रिस्वा० / स्व० प्र० प० / 21-22

दिनांक:-23/07/2021

स्वच्छता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ज्ञान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, नूरनगर सिहानी, गाजियाबाद का निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान उक्त स्कूल की सफाई व्यवस्था तथा शौचालय व् मूत्रालय की सफाई व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था सामान्य पायी गयी। उक्त स्कूल को स्वच्छता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वर्ष--2021--22 हेतु इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि निकट भविष्य में मानक के अनुरूप व्यवस्था बनाये रखेंगे।

नगर स्वास्त्र अधिकारी नगर गिम्म गाजियाबाद नगर गिम्म गाजियाबाद

GYAN INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

(Affiliated to CBSE New Delhi)

Noor Nagar Sihani, OPP. To VVIP Style Mall ,Road ,Rajnagar Extension Ghaziabad(UP)
Cont: 9999924037, 9717064693, 9717514846

(SCHOOL CODE-61406)

(AFF.NO-2133551)

Fee Structure 2022-23

S. No.	Class	Annual Charge	Comp Fee	Tution Fee
1	1	1000	100	800
2	II	1000	100	800
3	III	1000	100	800
4	IV	1000	100	900
5	V	1000	100	900
6	VI	1200	100	1000
7	VII	1200	100	1000
8	VIII	1200	100	1000
9	IX	1400	150	1200
10	Х	1500	200	1400

Principal

Gyan International Public School

Noor Nagar Sihani, Ghaziabad

Manager

Gyan International Public School

Noor Nagar, Sihani, Ghaziabad



GYAN INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

(Affiliated to CBSE New Delhi)

Noor Nagar Sihani, OPP. To VVIP Style Mall ,Road ,Rajnagar Extension Ghaziabad(UP)

SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

(SCHOOL CODE-61406)

(AFF.NO-2133551)

S. N	NAME	FATHER'S/ SPOUSE NAME	DESIGNATION	OCCUPATION	CONTACT NO.	ADDRESS
01	Mr. Dushyant Kumar Tyagi	Mr. Ved Prakash Tyagi	Chairman	Social Worker	9999924037	Noor Nagar Sihani Gzb
02	Mr. Ashok Pal	Mr. Raja Ram	Joint Executive Secretary	Social Worker	9871495081	Sihani Gzb
03	Mrs. Shilpa Singh	LT.S.L. Singh	Member Executive Secretary	Principal	7011949283	Noor Nagar Sihani GZB
04	Mr. Gajendra Singh	Mr. Rampal Singh	Member – Teacher Representative	Teacher	9871680814	Nandgram Gzb
05	Mrs. Ambika	Mr. Naresh	Member – Teacher Representative	Teacher	9953092581	Noor Nagar Sihani Gzb
06	Mrs. Preeti Sharma	Mr. Devender Sharma	Member – Parent Representative	Job	9354667486	Noor Nagar, Sihani, Ghaziabad
07	Mrs. Kiran Chaudhary	Mr. Praveen Chaudhary	Member – Parent Representative	Housemaker	8412574589	Ghaziabad
08	Mrs. Neetu	Mr. Nitin Tyagi	Member – Female Representative	Teacher	6987412589	Noor Nagar
09	Mr. Pardeep Kumar Pandey	Mr. Chandra Datta Pandey	Member – Other CBSE School Principal	Principal-KV-2 Hindon Airforce GZB	9411613796	KV-2 HINDON AIRFORCE
10	Mrs. Babita Gosain	Mr. Dan Singh	Member – Other CBSE School Principal	Principal- Shamshad Chaudhary Public School	9899280524	Garima Garden Irsha Garden Asho Vatika Sahibabad GZB
11	Mr. Rajkamal Sharma	LT. Sri.Lal Chand Sharma	Member – Other State Board Principal	Principal- Ramraj Higher Secondary School	8800981689	Janakpuri Sahibabad
12	Mr. Dinesh Sharma	Mr. Uma Chand Sharma	Member – Other State Board Principal	Principal- M.D Public School	8826027207	Saddique Nagar Sihani GZB
13	Dr. Babloo Tyagi	Mr. K.S. Tyagi	Member	Doctor	9599073891	Saddique Nagar Sihani
14 Gva	Mr. Mohit Principal In International Pub	Lt. Sri Karamveer	Member	Engineer	9873373981 Mana	Govindpuram GZB ger
	or Water Sihani, Gi		Member	Job	8741256987 Noor Nagar, Sih	Noor Nagar ani, unaziausu

GYAN INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

(Affiliated to CBSE New Delhi)
Noor Nagar Sihani, OPP. To VVIP Style Mall ,Road ,Rajnagar Extension Ghazlabad(UP)
Cont: 9999924037, 9717064693, 9717514846

(SCHOOL CODE-61406)

(AFF.NO-2133551)

PARENT – TEACHER ASSOCIATION

S.N.	Members	Designation
1	Mrs. Shilpa Singh	Teacher
2	Mr. Gajendra Singh	Teacher
3	Mrs. Ambika	Teacher
4	Mr. Rameshwar Dayal	Teacher
5	Mr. Raj Kamal Sharma	Teacher
6	Mrs. Neetu	Teacher
7	Ms. Deepshikha	Teacher
8	Mr. Om Kumar Goyal	Parent
9	Mrs. Keerti Singh	Parent
10	Mr. Yash Awasthi	Parent
11	Mr. Saurabh Mishra	Parent
12	Mrs. Vaishali	Parent

Principal

Gyan International Public School

Noor Nagar Sihani, Ghaziabad

Manager Gyan International Public School Noor Nagar, Sihani, Ghaziabad

GYAN INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

(Affiliated to CBSE New Delhi)

Noor Nagar Sihani, OPP. To VVIP Style Mall ,Road ,Rajnagar Extension Ghaziabad(UP) Cont: 9999924037, 9717064693, 9717514846

(SCHOOL CODE-61406)

(AFF.NO-2133551)

ADDITIONAL ROOMS DETAILS							
Sr. No.	Туре	Number	Area sq.ft				
1	Additional Room	6	500 sq.ft				
2	Physics Lab	1	600 sq.ft				
3	Chemistry Lab	1	600 sq.ft				
4	Biology Lab	1	600 sq.ft				

Principal

Gyan International Public School

Noor Nagar Sihani, Ghaziabad

Manager Gyan International Public School Noor Nagar, Sihani, Ghaziabad



GYAN INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL

ACADEMIC CALENDAR
SESSION:
2022-23

April

Saturday	Friday	Thursday	Wednesday	Tuesday	Monday	Sunday
2	1					
Ugadi	Odisha Day					
9	8	7	6	5	Session Begins	3
16 Hanuman Jayanti	Good Friday	Ambedakar Jayanti, Mahavir Jayanti, Vaisakhi	13	12	11	10 Ram Navami
23	Earth Day	21	20	19	18	17 Easter
30 PTM- (Virtual)	Jumu' atul- Wida	28	(Hand Writing Competi- tion) 1-5	26 Vallabha charya Jayanti	25	24



May

Sunday	Monday	Tuesda y	Wednesda y	Thursda y	Frida y	Saturday
1	2	3	4	5	6	7
Maharashtra And Gujarat Foundation Day World Laughter Day Internationa 1 Workers Day		Eid al- Fitr Ramdan	(Hand Writing Competi- tion) 6-8	Cycle Test-1 Start		Mother's Day Celebratio n Rabindra Nath Tagore Jayanti
8 Mother's Day	9 Guru Rabindranat h Jayanti	10	11	Cycle Test-1 End	13	14
15	Buddha Purnima PTM- (Virtual)	17	Summer Vacation Start	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31 World No Tobacco Day				

June

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
			1	Telangana Formation Day	3	4
World Environment Day	6	7	8	9	10	11
12	13	14 Kabirdas Jayanti	15	16	17	18
Father's Day	20	International Yoga Day	22	23	24	25
26	27	28	29	30 Summer Vacation Over		

2022

July

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesda y	Thursday	Friday	Saturday
					1	2
					School Re-opens	
3	4	5	6	Fancy Dress Competitio n (Pre- Primary)	8	Essay Competit ion (3-8)
Eid-ul- Adha (Bakrid)	11	12	Cycle Test-2 Start (Guru Purnima)	14	15	16
17	18	19	Cycle Test-2 End	21	22	23
24	25	26	27	28 PA-1 Start	29	30
31 Hariyali Teej						

August

Sunda y	Monday	Tuesday	Wednesda y	Thursda y	Friday	Saturda y
	1	2	3	Tulsidas Jayanti	5	PA-II End
7	8 Muharram Leave	9 Rakhi Making Competitio n	10	Raksha Bandha n Leave	12	13
14	Independenc e Day Celebration	16	17	18	Shri Krishna Janmashta mi Leave	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30 PTM	31 Ganesh Chaturthi			

September

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
				1	2	3
4	Teacher's Day Celebration	6	7	Onam	9	10
11	Half Yearly Exams Start	13	14 Hindi Diwas	Engineer's Day	16	17
18	19	20	21	Half Yearly Exams End	23	24
25	26 Agrasen Jayanti	27	28	29	30 PTM	

October

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
						1
Gandhi Jayanti	Durga Ashtami Leave	4 Maha Navami Pooja Leave	Dussehra Leave	6	7	8
9 Milad un- Nabi/ Id-e- Milad Maharishi Valmiki Jayanti	10	11	12	Karva Cahuth Leave	14	15
16	17	Diya Making Competiti on	19	20	Rangoli Competit ion	22
Dhanteras	24 Diwali Leave	25 Diwali Leave	Goverdhan Pooja Leave	Bhai Dooj Leave	28	29
30 Chhath Pooja	31					

November

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
		1	2	Drawing Competition (1-4)	4	5
6	7	Guru Nanak Jayanti	9	10	11	12
13	Children's Day Celebration	15	Sports Week Start	17	Maths Quizz Compet. (5-8)	19
20	21	22	Sports Week End	24	25	26
27	28	29	30 PTM			

December

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
				1	2	3
				World AIDS Day		
4	5 Cycle Test-3 Start	6	7	8	9	10
11	Cycle Test-3 End	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	Christmas Day Celebration
25	Winter Vacation Starts	27	28	Gobind Singh Jayanti	30	31

January

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	National Youth Day	13	14 Lohri
15 Makar Sankranti	16	17	18	19	20	Winter Vacation Ends
22	Subhash Chandra Bose Jayanti	24 PA-2 Start	25	Republic Day Basant Panchami	27	28
29	30 Martyre's Day	31				

February

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
			1	2	3	4
				PA-2 End		World Cancer Day
5 Guru Ravidas Jayanti	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18 Mahashivratri
19	20	21	Final Exams Start	23	24	25
26	27	28				

2023

March

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
			1	2	3 Final Exams End	4 Leave
5	6	7	8	9	10	11
	Leave	Holika Dahan Leave	Holi Women's Day Leave	Leave	Leave	Leave
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	Annual Result Day (1-4) & Prize Distribution	29	30 Ram Navami	Annual Result Day (5-8) & Prize Distribution	